



पत्र क्र./शिक्षक-शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30-1/प्रवेश/2023-24

4534/
4534

रायपुर दिनांक11/12/23

डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम 2023-24

अंतिम चरण आबंटन प्रक्रिया में संशोधन की सूचना

परिषद् द्वारा दिनांक 24.11.2023 को जारी डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए अंतिम चरण के आबंटन प्रक्रिया में समय-सारणी के क्रमांक 5 से 8 तक के बिन्दु तथा अन्य निर्देश को विलोपित करते हुए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-


1. द्वितीय चरण के चौथी सूची के बाद शेष रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना है। प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का Id Active है उन्हें निःशुल्क अपना विकल्प पुनः देना अनिवार्य होगा। विकल्प पुनः देने के लिए उन्हें पुनः निःशुल्क पंजीयन करना आवश्यक होगा। विकल्प किसी एक महाविद्यालय का ही देना होगा।
2. इस प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का Login Id Active नहीं है वे भी पुनः पंजीयन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिये गये समस्त महाविद्यालयों के विकल्प को निरस्त कर दिया गया है। अब यदि वे प्रवेश प्रक्रिया में पुनः शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित तिथि में पुनः निःशुल्क पंजीयन कर किसी एक महाविद्यालय का विकल्प देना होगा।
3. इस चरण में जिन्होंने अब तक अपना डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. आबंटन प्रक्रिया में पंजीयन नहीं कराया है एवं महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं वे सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।
4. अभ्यर्थी महाविद्यालय का विकल्प चुनने से पहले चिप्स के साइट <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOOnline/> में रिक्त सीटों की जानकारी प्राप्त करें।
5. प्रतीक्षा सूची का संशोधन कार्यक्रम निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड./डी.एल.एड./बी.ए.बी.एड. व बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए दिनांक से दिनांक तक
1	रिक्त सीटों की जानकारी	13.12.2023 को दोपहर 1 बजे तक
2	Active अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क पंजीयन व विकल्प देने तथा जिन अभ्यर्थियों का लॉगइन आई.डी. Active नहीं उन्हें पुनः निःशुल्क पंजीयन व किसी एक महाविद्यालय का विकल्प देने की तिथि	14.12.2023 से 16.12.2023 तक
3	प्रतीक्षा सूची जारी करना	19.12.2023 को शाम 4 बजे
4	महाविद्यालय द्वारा चयन सूची जारी करने की तिथि व समय	21.12.2023 को दोपहर 12 बजे
	महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को आनलाइन अपडेट करना।	22.12.2023 तक

6. प्रतीक्षा सूची में ऊपर के बिन्दु क्रमांक 1 व 2 अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों का ही नाम आयेगा। पूर्व चरणों के विकल्प फार्म पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है।
7. पंजीयन चिप्स के वेबसाइट <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOOnline/> में होगा।

8. महाविद्यालयवार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री.परीक्षा 2023 के प्राप्तांक व अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर जारी किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम एक ही महाविद्यालय में आयेगा।
9. एक निर्धारित तिथि में महाविद्यालय अपने लॉगइन में तथा अभ्यर्थी अपने लॉगइन व चिप्स के वेबसाइट में प्रतीक्षा सूची में देख सकते हैं।
10. इसके पश्चात् महाविद्यालय आरक्षणवार रिक्त सीटों के अनुसार चयन सूची बनायेंगे। महाविद्यालय चयन सूची बनाते समय प्रवेश नियम में उल्लेखित आरक्षण प्रावधान छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम 2006 के नियम 9 एवं 10 का अवलोकन कर लें।
11. महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को चयन सूची जारी करना आवश्यक होगा। चयन सूची में अभ्यर्थी के वर्ग एवं संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में सूचना पटल पर चयन सूची चस्पा करना आवश्यक होगा। महाविद्यालय को सूचना पटल पर चयन सूची जारी किया है इसका प्रमाण विडियो एवं फोटोग्राफ रखना होगा।
12. जिस महाविद्यालय के लिए अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में आया है उस महाविद्यालय में चयन सूची जारी होने के निर्धारित तिथि व समय में अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज व निर्धारित प्रवेश शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय उपस्थित अभ्यर्थियों से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे। यदि निर्धारित समय व तिथि में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे तो महाविद्यालय अगले क्रम में छात्रों को प्रवेश दे सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया का विडियो एवं फोटोग्राफ के रूप में प्रमाण रखना होगा।
13. महाविद्यालय प्रवेश लेने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों का परीक्षण करें –
 - i. स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची।
 - ii. यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है तो जाति प्रमाण पत्र
 - iii. छ.ग. का अभ्यर्थी है तो निवास प्रमाण पत्र
 - iv. जन्म प्रमाण पत्र (10वीं का अंकसूची)
 - v. प्री परीक्षा का अंकसूची
 - vi. काउंसिलिंग प्रपत्र
14. ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का आबंटन पत्र जारी होगा।
15. चयन सूची बनाते समय आरक्षण नियम का पालन करें। यदि अनारक्षित वर्ग की सीटें रिक्त हैं तो पहले अनारक्षित अर्थात् मेरिट क्रम से सीट्स आबंटित करें। इसके बाद आरक्षित वर्ग के सीटों का चयन सूची बनायेंगे। ST छात्र नहीं मिलने पर पहले SC फिर OBC फिर अनारक्षित वर्ग में सीट्स परिवर्तन करें। इसी प्रकार अन्य वर्ग के सीटों को भी परिवर्तन कर सकते हैं।
16. मेरिट अतिक्रमण की शिकायत होने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतीक्षा सूची से प्रवेश उक्त महाविद्यालय के लिए निरस्त भी किया जा सकेगा। परिषद् में शिकायत करते समय आवश्यक दस्तावेज प्रमाण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
17. शेष नियम शर्तें पूर्ववत् ही रहेंगे।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)



(श्रीमती पुष्पा किस्पोट्टा)

प्राध्यापक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर